न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 82/2017

दर्ज दिनांकः 03/07/2017

निर्णय दिनांक : 26/09/2017

नारायण प्रसाद पुत्र रोडूराम जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः डाबला बुजुर्ग, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।

—— प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः

श्री मनीष मालपाणी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांकः 26/09/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 80 के खसरा नंबर 257/1, 257/3, 258, 259/1 कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा एवं खतौनी संख्या 81 के खसरा नंबर 239/1, 251/1, 254/1, 255, 256/1, 286/2 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम डाबला बुजुर्ग तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसमें खतौनी संख्या 80 व 81 में एकमात्र वादी खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है एवं सरकारी लगान जमा कराता आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी की आराजी है एवं वरवक्त पटवारी हल्का मोहब्बतपुरा द्वारा नामान्तकरण खोलते वक्त वादी नारायण प्रसाद के स्थान पर खतौनी संख्या 80 में नारायणराम व खतौनी संख्या 81 में नारायणलाल

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

दर्ज कर दिया गया एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया जबकि आधार कार्ड, बैंक पास बुक्स, पैन कार्ड में वादी का सही नाम नारायण प्रसाद दर्ज है एवं वादी इसी नाम से दस्तावेजात में जाना व पहचाना जाता है एवं वादी का नाम नारायणराम व नारायणलाल पुत्र रोडूराम के स्थान पर नारायण प्रसाद पुत्र रोडूराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त होना आवश्यक है। वादी नारायण प्रसाद पुत्र रोडूराम के बजाय खतौनी संख्या 80 में नारायणराम व खतौनी संख्या 81 में नारायणलाल का नाम दर्ज होने का आज तक इल्म नहीं हुआ एवं वादी अपनी आराजी को उन्नत व उपज बनाने हेतु राजस्थान सरकार से मिलने वाली सुविधा लेने हेतु पटवारी हल्का से जमाबंदी व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तब वादी नारायण प्रसाद को गलत इन्द्राज का मालूमात हुआ। दिनांक 29/6/2017 को प्रतिवादी के व अधिनस्थ कर्मचारी को वादी ने नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने न्यायालय से आदेश लाने बाबत कहा इसलिये वादी को परम आवश्यक हो गया कि अपने हितो की रक्षार्थ हेतु दावा घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश करना लाजिम हुआ। आराजी को उन्नत व उपज बनाने हेतु बैंक आदि से ऋण लेने व राजस्थान सरकार से मिलने वाली सुविधा लेने हेतु वादी का नाम खतौनी संख्या 80 में नारायणराम व खतौनी संख्या 81 में नारायणलाल के स्थान पर नारायण प्रसाद दुरूस्त किया जावे जिससे वादी अपनी कब्जाशुदा आराजी को अधिक उन्नत व उपज बना सके उक्त राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज होने के कारण वादी को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढ रही है एवं खर्चे से जेरबार होगा जिसकी क्षतिपूर्ति की जाना असंभव है इसलिये प्रतिवादी के खिलाफ दावा इन्द्राज दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर है इसलिये दावे पक्षकार बनाया गया है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी विरूद्व प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री फरमाई जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जाये कि वाद में वर्णित आराजी में वादी खातेदार काश्तकार है। वाद में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में खतौनी संख्या 80 में नारायणराम एवं खतौनी संख्या 81 में नारायणलाल के स्थान पर नारायण प्रसाद दुरूस्त किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। दिनांक 14/07/2017 को पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पत्रावली किया गया। वकील वादी ने नारायण प्रसाद पुत्र रोडूराम, गोपाल पुत्र भोमाराम व राधेश्याम पुत्र रामगोपाल निवासीः गणेशपुरा के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वादी के उक्त आराजीयात ना.सं. 219 विरासत के द्वारा आई हुई है वरवक्त विरासत के समय वादी स्वयं का नाम नारायणराम दर्ज करवाया था जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। वादी नारायणराम के स्थान पर नारायणप्रसाद दर्ज करवाना चाहता है।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति पैन कार्ड, फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटो प्रति राशनकार्ड, फोटोप्रति टी.सी., फोटोप्रति निर्वाचक नामावली, फोटो प्रति अदेयता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा, तहसीलदार फागी की रिपोर्ट, शपथ पत्र नारायण प्रसाद पुत्र रोडूराम, गोपाल पुत्र भोमाराम व राधेश्याम पुत्र रामगोपाल निवासीः गणेशपुरा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि खसरा नंबर 257/1, 257/3, 258, 259/1 कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डाबलाबुजुर्ग के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का नाम नारायणराम एवं खसरा नंबर 239/1, 251/1, 254/1, 255, 256/1, 286/2 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा ग्राम डाबला बुजुर्ग तहसील फागी जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का नाम नारायणलाल दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम नारायणराम एवं नारायणलाल के स्थान पर नारायण प्रसाद दुरूस्त करवाना चाहा है।

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटोप्रति पैन कार्ड, फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटो प्रति राशनकार्ड, फोटोप्रति टी.सी., फोटोप्रति निर्वाचक नामावली, फोटो प्रति अदेयता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा में वादी का नाम नारायण प्रसाद दर्ज है। गोपाल पुत्र भोमाराम एवं राधेश्याम पुत्र रामगोपाल निवासीः गणेशपुरा ने अपने शपथ पत्रो में वादी का सही व वास्तविक नाम

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

नारायण प्रसाद होने एवं राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि से नारायणलाल व नारायणराम दर्ज होना जाहिर किया है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली के समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज नारायणलाल एवं नारायणराम के स्थान पर नारायण प्रसाद दर्ज किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 257/1, 257/3, 258, 259/1 कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज नारायणराम एवं खसरा नंबर 239/1, 251/1, 254/1, 255, 256/1, 286/2 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्रांज नारायणलाल को हजफ कर इसके स्थान पर नारायण प्रसाद दर्ज किया जाकर उक्त आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26/09/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

नोट:- न्यायालय के आदेश दिनांक 7/11/17 से प्रार्थनापत्र 153,-151 CPC स्वीकार होने पर निर्णय मे अंकित ख०न० 239/1 के स्थान पर ख०न० 239/2 पढा जावे।

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6--7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत--उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास--सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

नारायण प्रसाद पुत्र रोडूराम

बनाम

तहसीलदार फागी

:- वाद घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज :-

मुकदमा नं0 – 82/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 257/1, 257/3, 258, 259/1 कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज नारायणराम एवं खसरा नंबर 239/1, 251/1, 254/1, 255, 256/1, 286/2 कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा ग्राम डाबला बुजुर्ग, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज नारायणलाल को हजफ कर इसके स्थान पर नारायण प्रसाद दर्ज किया जाकर उक्त आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज......—......मुबलिग..........—..........बाबत.......—.......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..........—..........फीसदी......—......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......—.......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/09/2017 को जारी की गई।

दस्तखत..........
मुहर
ओहदा..........

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर)
(मुहर: उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर))

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर	NIL		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:– न्यायालय के आदेश दिनांक 7/11/17 से प्रार्थना पत्र 153-151 CPC स्वीकार होने पर डिक्री में अंकित खसरा 239/1 के स्थान पर खसरा 280/2 पढा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)